# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I, (RAS)**

राजस्व वाद संख्या :– **109/2024 GCMS 2024/206**

वादीः–

1. सुमन पत्नी भुवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम सबलपुरा तहसील कुचामन सिटी

**प्रतिवादीगणः–**

1. बेगाराम पुत्र मांगुराम
2. मदनलाल पुत्र शांति देवी पत्नी बेगाराम
3. मंजु पुत्री शांति देवी पत्नी बेगाराम
4. धन्नाराम पुत्र शांति देवी पत्नी बेगाराम
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चारणवास तहसील कुचामन सिटी
5. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

**दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती शुद्धि बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थितः– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर

**–:निर्णय :–**

दिनांकः–20/02/2025

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ग्राम चारणवास तहसील कुचामन सिटी सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 323 रकबा 4.14 है. स्थित चली आ रही है। उपरोक्त खेत ग्राम चारणवास तहसील कुचामन सिटी खसरा नंबर 323 रकबा 4.14 है. के तत्कालीन काबिज खातेदार शांति देवी पत्नी बेगाराम जाति जाट निवासी ग्राम चारणवास के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही थी जिन्होंने तत्कालीन बाजार भाव से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सं. 1233/08 दिनांक 08.07.2008 के द्वारा मुझ वादिया सुमन पत्नी भुवानाराम जाति जाट निवासी सबलपुरा तहसील कुचामन सिटी द्वारा क्रय करके कब्जा प्राप्त कर लिया गया है तब से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि में जब क्रय की गयी तब मेरे पीहर के बोलते नाम सुंदर देवी पत्नी भानाराम के नाम से करायी गयी जबकि मेरा ससुराल में नाम सुमन पत्नी भुवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम सबलपुरा के नाम से दर्ज चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम सुंदर देवी पत्नी भानाराम दर्ज चला आ रहा है जबकि आधार कार्ड, वोटर लीस्ट में व राशन कार्ड में मेरा नाम सुमन पत्नी भुवानाराम दर्ज [illegible] है व मेरे नाम की रिकॉर्ड दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त कृषि भूमि में मेरा नाम सुंदर देवी पत्नी भानाराम के स्थान पर सुमन पत्नी भुवानाराम दर्ज किया जावे इसलिए यह रिकॉर्ड दुरूस्ती नाम शुद्धि का वाद लाया जाना आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा पटवारी हल्का को नाम शुद्धि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:44:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

बाबत् कहा तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया और बताया कि ऐसा न्यायालय आदेश से होना ही संभव है। इस प्रकार यह वाद बामुकाम ग्राम चारणवास में पैदा हुआ। प्रतिवादी सं. 1 सहखातेदार होने से पक्षकार है व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 आवश्यक पक्षकार है व प्रतिवादी सं. 5 भूमिधारी होने से पक्षकार है। ग्राम चारणवास तहसील कुचामन सिटी सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 323 रकबा 4.14 है. भूमि में मुझ वादी का 100/207 वां हिस्सा के राजस्व रिकॉर्ड में सुंदर देवी पत्नी भानाराम का नाम दुरूस्त कर सुमन पत्नी भुवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम सबलपुरा तहसील कुचामन सिटी किया जाने का रिकॉर्ड दुरूस्ती किया जाकर आदेश श्रीमान तहसीलदार कुचामन सिटी को प्रदान कराने की इस्तदुआ दी है।

वाद पत्र रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री भीकमचंद कुमावत द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने No Objection किया। प्रतिवादी सं. 5 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार ग्राम चारणवास के ख.नं. 323 रकबा 4.14 है. भूमि वादी का नाम जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा से सुंदर देवी पत्नी भानाराम के नाम दर्ज हुआ हे। अतः नाम में शुद्धि किया जाना अस्वीकार है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व वकील प्रतिवादी ने इकबालिया जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम चारणवास तहसील कुचामन सिटी सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 323 रकबा 4.14 है. भूमि में वादी का 100/207 वां हिस्सा के राजस्व रिकॉर्ड में सुंदर देवी पत्नी भानाराम के स्थान पर नाम दुरूस्त कर सुमन पत्नी भुवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम सबलपुरा तहसील कुचामन सिटी किया जाना उचित प्रतीत होने से वाद पत्र स्वीकार किया जाता है।

**—:आदेश :—**

अतः ग्राम चारणवास तहसील कुचामन सिटी सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 323 रकबा 4.14 है. भूमि में वादी का 100/207 वां हिस्सा के राजस्व रिकॉर्ड में सुंदर देवी पत्नी भानाराम के स्थान पर नाम दुरूस्त कर सुमन पत्नी भुवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम सबलपुरा तहसील कुचामन सिटी शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कुचामन सिटी आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 20/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:44:57 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते